UPFR010026032026

Bail Application/735/2026 Rajepur

Kulwant Vs. State Government

**न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद।**

**उपस्थित– शैलेन्द्र सचान ..... एच.जे.एस., (J.O. CODE No–UP 2406)**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 735/2026**

कुलवन्त पुत्र अवध बिहारी निवासी बीबीपुर थाना ईमलिया जनपद सीतापुर।

**बनाम**

उ०प्र०राज्य।

मु०अ०स०– 71/2026
धारा– 109 (1) BNS व
धारा 3/25 Arms ACT
थाना– राजेपुर।
जिला फर्रूखाबाद।

06.07.2026

आवेदक /अभियुक्त कुलवन्त की ओर से मु०अ०स०– 71/2026 धारा– 109 (1) BNS व धारा 3/25 Arms ACT थाना– राजेपुर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 18–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है।

प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरागदी के आधार पर नामित अभियुक्त के विरूद्व थाना पर दर्ज करायी गयी है।

आवेदक / अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है, पुलिस द्वारा गलत नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18–05–2026 से जिला कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध है।



Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.07.06 16:53:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थाना पुलिस द्वारा जिस अपराध संख्या 69/2026 में भागा हुआ दिखाया है, उसमें ग्रामीणों द्वारा मौके पर ही पकड़ कर तलाशी ली गयी, जिसमें तमंचा कारतूस की बरामदगी हुई और ग्रामीणों द्वारा को सहअभियुक्त उमेश के साथ पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस की कथनानुसार चिकित्सीय परीक्षण को ले जाते समय अभियुक्त कुलवन्त को अभिरक्षा से भागना दिखाया गया है। वह घटना स्थल के समीप ही स्थित ईट भटठे पर छिपा रहा, जबकि पास में ही इटावा बरेली हाईवे राजमार्ग है और हाईवे होने के कारण वह कहीं भी भाग सकता था। जिस कारण घटना पूर्णतया संदिग्ध हैं। अपराध संख्या 69/2026 में गिरफ्तारी के दौरान बरामदगी में तमंचा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया था तो ईट भटठे पर छिपने के दौरान पुनः तमंचा कारतूस अभियुक्त के पास आना पूर्णतया काल्पनिक एवं मनगंढत प्रतीत होता है। पुलिस के कथनानुसार अभियुक्त द्वारा अपने छिपे हुए स्थान से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से दो फायर किये गये, परंतु किसी भी पुलिस कर्मी को फायर नहीं लगा, अपितु पुलिस पार्टी द्वारा छिपे होने के बावजूद पैर में गोली मार दी जाती है। उक्त घटना भी पूर्णतया निराधार व काल्पनिक है। उपरोक्त मुकदमें में घटना के समय जनता का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, जो साक्षी दर्शाये गये हैं वह हितबद्ध हैं। प्रार्थी / अभियुक्त किसी भी मुकदमें में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त अपनी जमानत होने पर उचित धनराशि के एवं विश्वसनीय जामींदार पेश करेगा और मुकदमा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अन्य कथनों के साथ में जमानत की याचना की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से अभियुक्त की जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर गंभीर अपराध कारित किया गया है। अन्य कथनों के साथ में जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये जाने का आरोप है । पुलिस पार्टी के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की चोट नही आयी है  बल्कि पुलिस की

गोली प्रार्थी/अभियुक्त के पैर में लगी है । पुलिस मुठभेड में प्रार्थी/अभियुक्त घायल हुआ है । प्रस्तुत प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अभियुक्त को गांव वालो द्वारा पकड़कर पुलिस को दिया गया था तथा अभियुक्त पुलिस कस्टिडी से फरार हो जाने के बाद पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया । रिमाण्ड के समय अभियुक्त कुलवन्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह पुलिस कस्टिडी से फरार नही हुआ था बल्कि पुलिस द्वारा उसको ईंट भट्टे के पास ले जाकर उसके पैर में गोली मार दी गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या–45637/2025 राजू उर्फ राजकुमार बनाम उ० प्र० राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुलिस पार्टी के सदस्यों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत नही किया गया है। डी सी आर बी की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध 29 मुकदमें दर्ज है किन्तु थाने की आख्या में यह स्पष्ट नही किया गया है किउक्त मुकदमों में कितने में आरोप पत्र दाखिल किया गया है तथा कितने मुकदमें में अभियुक्त दोष सिद्ध एवं दोष मुक्त किया गया तथा कितने मुकदमें विचाराधीनव है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस पार्टी के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की चोटे नही आयी है बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त के पैर में पुलिस द्वारा गोली मारी गयी तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से जेल मे निरूद्ध है , गुण दोष पर मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

अभियुक्त **कुलवन्त** की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा एक लाख रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू तथा निम्न लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए–

1– प्रवास स्थान परिवर्तन की दशा में अभियुक्त द्वारा इसकी सूचना विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी तथा विवेचक को भी सूचना प्रदान की जायेगी।

2– अभियुक्त विवेचना में विवेचक को सहयोग प्रदान करेगा।

3– अभियुक्त साक्षीगण को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

**(शैलेन्द्र सचान)**

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।